न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—134 / 2015 / 75 (2015 / 00233)

1. रामदेव पुत्र मूला,
2. श्रीमती सुगनी पुत्री मूला,
   जाति गुर्जर, निवासी नारेली, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेमर जरिये सचिव ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 27.9.2013 क्रमांक कअ / राजस्व / एफ.12 (सी) / 13 / 292.

उपस्थितः—

1. श्री लक्ष्मणनाथ योगी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—22.4.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ / राजस्व / एफ.12 (सी) / 13 / 292 दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 27.9.2013 के द्वारा अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ—साथ ग्राम नारेली, तहसील व अजमेर की अन्य भूमियों के साथ आधार खसरा नंबर 1736 रकबा 0.70 है0 एवं 1737 / 5528 मिन रकबा 0.11 है0 भूमियां अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित पारित किये । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने लिखित बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम नारेली स्थित आराजियात चौसाला खसरा नंबर 3270 रकबा 5 बीघा जिसके वर्किंग खसरा नबर 3590 रकबा 5 बीघा बनाये गये जिसके आधार खसरा नंबर 1736 रकबा 0.70 है0 एवं 1737 / 5528 मिन रकबा 0.11 है0 कायम किये गये । उक्त आराजियात पर अपीलांट के पिता मूला पुत्र तेजा

राज0काश्त0अधि0 अजमेर में दिनांक 15.6.1958 को प्रभाव में आने से पूर्व से ही मौरूसी कृषक जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 के अनुसार काबिज काश्त रहे है एवं जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 में मूला पुत्र तेजा बहैसियत कृषक दर्ज है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत् 2015 लगायत 2042 एवं खसरा परिवर्तनशील संवत् 2017 लगायत 2038 से भी होती है । उक्त आराजियात पर दिनांक 15.6.1958 को राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने पर उक्त भूमि के काश्तकार स्वत्व धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार विधि प्रभाव से अपीलांटस के पिता मूला में निहित हो गये थे लेकिन खातेदार अंकित नहीं किया गया । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेमर के समक्ष वादग्रस्त आराजियात की उद्घोषणा खातेदारी हेतु नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है जिसमें भूमिधारक तहसीलदार, अजमेर भी पक्षकार है जिससे राज्य सरकार तहसीलदार को वाद विचाराधीन होने की संपूर्ण जानकारी प्रारंभ से थी । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने दौराने वाद दिनांक 27.9.2013 को उक्त आराजियात अवैधानिक रूप से वाद विचाराधीन होने के बावजूद उनके समक्ष वाद वाद विचाराधीन बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को बिना कब्जे के हस्तांतरित कर दी जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 57 प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दिया गया लेकिन वास्तव में विवादित आराजियात पर अपीलांटस बहैसियत कृषक काबिज काश्त चले आ रहे है । बहस में आगे कथन किया कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 27.9.2013 की शर्त एवं निबंधन संख्या 7 के अनुसार उक्त आदेश हस्तातंरित आराजियात बाबत् किसी भी न्यायालय में लंबित वाद, स्थगन आदि को अप्रभावित रखेगा अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि दौराने वाद उक्त आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की गई है जो मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 2007 पेज 2025 पर प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत होकर उक्त हस्तातंरण आदेश प्रारंभ से शून्य प्रभावी है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 27.9.2013 ग्राम नारेली तहसील अजमेर के वर्किंग खसरा नबर 3590 रकबा 5 बीघा बनाये गये जिसके आधार खसरा नंबर 1736 रकबा 0.70 है0 एवं 1737/5528 मिन रकबा 0.11 है0 की हद तक निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे आदेश की अपीलांटस को जानकारी नहीं हो सकी थी । तहसीलदार, अजमेर द्वारा दिनांक 15.1.2014 को नामांतकरण संख्या 57 वादग्रस्त आराजियात का अजेमर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज कर दिया और दिनांक 14.1.2014 मकर संक्राती के दिन पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अवगत कराया कि अपीलांटस की खातेदारी की आराजी रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज हो चुकी है तब अपीलांट ने आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 21.1.2015 को नामांतकरण की प्रति मिलने पर कानूनी सलाह लेकर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेमर के आदेश की प्रति हेतु आवेदन किया तथा आदेश की प्रति प्राप्त होने के उपरांत जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने

से रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित की गई है तथा वर्तमान में नामांतकरण संख्या 52 रेस्पो0 संख्या 2 के नाम तस्दीक होकर रिकार्डेड खातेदार है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांटस ने जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत् धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है जो कि आवश्यक है इसके अभाव में भी अपीलांटस की अपील संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013 के द्वारा अन्य ग्रामों के साथ–साथ ग्राम नारेली के अन्य खसरा नंबरान के साथ–साथ विवादित आराजी खसरा नंबर 1736 रकबा 0.70 है0 एवं 1737/5528 मिन रकबा 0.11 है0 भूमि रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । उक्त आदेश की पालना में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम नामांतकरण संख्या 57 तस्दीक होकर वर्तमान में विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज है । अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश में अपीलांटस पक्षकार नहीं थे इसके बावजूद अपीलांटस ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश नहीं किया है जबकि विधि अनुसार अपीलांटस को जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु तथा अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार एवं हितबद्ध पक्षकार है इस संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के अभाव में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील विधि अनुसार संधारण योग्य नहीं मानी जा सकती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अनुमति प्राप्त करने के संबंध में धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने से अपील अपीलांटस इसी स्तर पर खारिज की जाती है ।

8. अतः अपील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 22.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर